

National Judicial Commission

1482. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:
SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether a proposal to set-up a National Judicial Commission as per Supreme Court verdict in 1993 is under consideration of Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government is considering setting-up of a five member Judicial Commission as suggested by legal experts including Supreme Court and High Courts Judges for appointment, transfer, etc. from the High Courts/Supreme Court; and

(d) if so, whether Government is contemplating to amend certain related articles of the Constitution of India?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI):

(a) to (d) One of the items of the National Agenda for Governance is to set up a National Judicial Commission to make recommendations for judicial appointments in the Supreme Court and the High Courts and draw up a code of ethics for the judiciary. It is not possible to indicate the time by which the final decision in this regard would be taken.

Vacancies of Judges in Allahabad High Court

1483. SHRI NAGMANI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that in Allahabad High Court the approved strength of judges is 77 and out of them there are at present 29 vacancies resulting into failure of justice delivery system in the state; if so, the reasons therefor;

(b) whether Government propose to amend Law that vacancies of judges be filled three months prior to the date of retirement of judges; and

(c) whether any step has been taken to fill-up vacancies of judges in Allahabad High Court?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI):

(a) The approved strength of the Allahabad High Court is 77 Judges/Additional Judges. As on 1.6.1998, 48 Judges were in position, leaving 29 vacancies of Judges/Additional to be filled up.

(b) No, Sir.

(c) The procedure for appointment of judges of High Courts involves consultation among several constitutional authorities. Every effort is being made to fill existing vacancies at the earliest.

लोक अदालतें

1484. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 मार्च, 1998 तक कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया गया;

(ख) लोक अदालतों के माध्यम से 31 मार्च, 1998 तक कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में लोक अदालतों के लिए आबंटित की जा रही बजट आवंटनों की राशि का खर्च-वार ब्यौर क्या है; और

(घ) राजस्थान को लोक अदालतों के लिए वर्ष 1998-99 के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री और जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. थम्बी दुरै):

(क) और (ख) दी गई जानकारी के आधार पर 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, लक्षद्वीप और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा 31 मार्च, 1998 तक देश में 22,309 लोक

अदालतें आयोजित की गई हैं जहां 66,22,546 मामले निपटाए गए थे।

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों और लक्षद्वीप की बाबत जानकारी शून्य है। केरल राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के पास राज्य में आयोजित लोक अदालतों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है किन्तु केरल राज्य के सभी न्यायालयों में प्रत्येक मास का अंतिम शानिवार लोक अदालत दिवस के रूप में मनाया जाता है।

शेष 11 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् असम, गोवा, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव तथा पंडिचेरी से अपेक्षित जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है तथा जब और जैसे ही प्राप्त होती है सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों जैसे कि लोक अदालतें, विधिक साक्षरता कैंप और विधिक सहायता और विधिक सहायता प्रचार कार्यक्रमों आदि का आयोजन, के कार्यान्वयन के लिए उनसे परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष के आधार पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

लोक अदालतों के लिए उस रूप में निधियों का कोई पृथक् आवंटन नहीं किया जा रहा।

(घ) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह उपदर्शित किया है कि उसे अतिरिक्त निधि/चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए नई अनुदान सहायता की अपेक्षा नहीं है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 1996-97 और 1997-98 प्रत्येक के दौरान संस्वीकृत पांच लाख रुपए की अनुदान सहायता की खर्च न की गई रकम को अंग्रेषित करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान उसका उपयोग करने के लिए प्रशासनिक संस्वीकृति के लिए अनुरोध किया है क्योंकि राज्य प्राधिकरण उक्त पूर्ववर्ती अनुदान सहायता की रकम का पूर्णतः उपयोग कर पाने में समर्थ नहीं रहा है।

तथापि, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रचार अभियान के लिए 4.50 लाख रुपए की अनुदान सहायता के लिए एक मांग उठाई है जिसके प्रति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय डॉ॰ न्यायमूर्ति ए॰ एस॰ आनंद द्वारा उस आनंदन में से 2.5 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है।

High Courts Functioning in the Country

1485. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the total number of High Courts functioning at present in the country with details of each High Court, its benches and sanctioned strength of Judges therein;

(b) the States which do not have their own High Court but jurisdiction of other High Court has been extended to such States; and

(c) the reasons for not providing High Court in these States despite clear Constitutional provision that each State shall have its separate High Court?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) and (b) A statement giving the requisite information is enclosed. (see below)

(c) Article 214 of the Constitution of India provides that there shall be a High Court for each State. However, Article 31(1) of the Constitution also provides that parliament may be law establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union territory.

Statement

High Courts Functioning in the Country

Sl. No.	High Court	Sanctioned strength	Principal seats	Jurisdiction	Benches
1.	Allahabad	71	Allahabad	Uttar Pradesh	Lucknow
2.	Andhra Pradesh	38	Hyderabad	Andhra Pradesh	—

28 22 1981 E 70